न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 15/2013

बउनवान

1. मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी माथनी तहसील बारां
2. इन्द्रगाज दत्तक पुत्र श्री केशरा जाति माली निवासी माथनी तह. व जिला बारां.राज.

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां **(रेंस्पोडेंट)**

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 17.06.2013 पत्रावली सं. 48/2013 बाबत खोले जाने फौती इन्तकाल न्यायालय तहसीलदार बारां बउनवान मोहनलाल बनाम सरकार

उपस्थिति :— 1. श्री माधोलाल सुमन **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 01.04.2022

अपीलांटगण द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम माथनी तह0 बारां में जमाबन्दी संवत 2067—70 अनुसार आराजी खाता सं. नया 44 पुराना 225 से खसरा नं. 855 रकबा 0.02 है. खसरा नं. 856 रकबा 0.81 है. कुल किता दो रकबा 0.83 है. आराजी स्थित है जिसके खातेदार केशरा पुत्र मोती हि. 1/3 सीताराम किशनगोपाल इन्द्रगाज मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ हि. 4/15 व रामप्यारी बेवा जगन्नाथ हि. 2/5 जाति माली सा. देह अंकित है। सहखातेदार केशरा पुत्र मोती का स्वर्गवास हो चुका है। केशरा का स्वर्गवास होने के बाद अपीलांट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन बाबत खोले जाने फोती इन्तकाल हेतु पेश किया कि खातेदार केशरा लाऔलाद फोत हुआ है तथा मृतक केशरा ने अपने जीवनकाल में अपीलांट कम 1 के भाई अपीलांट कम 2 (इन्द्रगाज?) [illegible] पास गोदपुत्र के रूप में रख लिया था जिसका पंचनामा दिनांक 04.12.2005 को गांव वालों व परिजनों व रिश्तेदारों की उपस्थिति में लि[illegible] आधार पर मृतक केशरा पुत्र मोती का फौती इन्तकाल उसके दत्तक पुत्र इन्द्रगाज अपीलांट कम 2 के [illegible] खोला जावे। उक्त आवेदन की सत्यता व प्रमाणिकता के लिए अपीलांट कम[illegible] गवाह किशनगोपाल, इन्द्रगाज, मोहनलाल, रामप्यारी बाई, सीताराम के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिनके बयानों पर पंचनामा दिनांक 04.12.2005 पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करके अपीलांट का आवेदन अस्वीकार करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय तहसीलदार बारां का निर्णय दिनांक 17.06.2013 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:49 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जर्ये पेरोकार सरकार उपस्थित हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

प्रकरण में दिनांक 27.01.2021 को अभिभाषक ने अपीलांट की ओर से पैरवी नहीं करने की सूचना दी इस पर अपीलांट को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट क्रम 1 स्वंय दिनांक 15.03.2021 को उपस्थित हुआ तथा पैरवी हेतु वकील अधिकृत करने के लिये समय चाहा। तत्पश्चात दिनांक 04.10.2021 तक अपीलांट स्वंय भी उपस्थित नही हुये तथा उनकी ओर से कोई अभिभाषक भी उपस्थित नहीं हुये। अतः हमने प्रकरण बहस पेरोकार सरकार हेतु नियत किया।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में गोदनामा पेश नही किया, सिर्फ पंचनामा दिनांक 04.12.2005 पेश किया है जिसके आधार पर अपीलांट क्रम 2 केशरा का गोदपुत्र होना प्रमाणित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2013 पूर्ण रूप से वैद्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावें।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने मृतक केशरा द्वारा अपीलांट क्रम 2 को गोद लिये जाने से संबंधित गोदनामा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है ना ही इस न्यायालय में पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पंचनामा दिनांक 04.12.2005 जिसमें अंकित है कि केशरीलाल की मृत्यु दिनांक 09.10.2005 को हो गई है और उनका पगड़ी दस्तूर भी सम्पूर्ण गांववालों के सामने व मेरे परिवार की सहमति से हुआ। इसके आधार पर इन्द्रगाज को केशरीलाल का गोदपुत्र नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:49 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)